पंजाब में मारे गए व्यक्ति

2455. **श्रीमती सुषमा स्वराज :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में आतंकवादियों द्वारा आज तक मारे गए व्यक्तियों की वर्ष वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या पंजाब के आतंकवादियों द्वारा बहुधा इस्तेमाल किए जा रहे हथियार, ए०के०-47 राइफ़ल, का मुकाबला करने के लिए सरकार ने इसी प्रकार के किसी हथियार का आयात करने या उसका देश में ही निर्माण करने का निर्णय लिया है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार पुलिस कार्मिकों और अर्द्ध-सैन्य बलों को इस प्रकार के हथियारों से कब तक लैस कर देने का विचार रखती है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोधकान्त सहाय) : (क) इस संबंध में उपलब्ध सुचना नीचे दी गयी है:-

वर्ष			मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1981	.	.	13
1982	.	.	18
1983	.	.	75
1984	.	.	359
1985	.	.	63
1986	.	.	520
1987	.	.	910
1988	.	.	1949
1989	.	.	1168
1990 (जुलाई तक)		.	1210
कुल :			6280

(ख) और (ग) सुरक्षा बलों के लिए हथियारों की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर उनके स्तर में सुधार लाया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। स्थिति से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए पंजाब में सुरक्षा बलों को उपलब्ध कराए गए हथियारों में पहले ही सुधार किया जाता है।

भारत-बर्मा सीमा पर व्यक्तियों का आवागमन

2456. **श्रीमती सुषमा स्वराज :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-बर्मा सीमा पर 40 किलोमीटर के क्षेत्र में भारत और बर्मा के नागरिकों के आवागमन पर कोई रोक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था किस दस्तावेज के अन्तर्गत की गई है तथा उक्त दस्तावेज के संबंधित उपबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत-बर्मा सीमा पर ऐसा आवागमन बेरोकटोक जारी है; और

(घ) इस आवागमन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) (क) से (घ) विदेश मंत्रालय द्वारा 1968 में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, पर्वतीय जनजाति का प्रत्येक सदस्य, जो कि या तो भारत अथवा संघीय बर्मा का नागरिक हो, तथा वह भारत-बर्मा सीमा की किसी भी तरफ़ 40 कि.मी. क्षेत्र में रहने वाला आम नागरिक हो, तो वह भारत से

वापस जा सकता है बशर्ते कि उसके पास प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया परमिट हो। वर्ष 1968 में गृह मंत्रालय द्वारा भारत में प्रवेश करने के लिए ऐसे ही अनुदेश जारी किए गए थे।

Staff Rift. Brewing in the Telecom Organisation

2457. SHRI KRISHNA KUMAR RIRLA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that serious staff rift has been brewing in the telecom organisation dividing the various. class of officers in the organisation demoralising the service;.

(b) if so, whether Government have made any inquiry into the causes for the widening rift between the officers of telecom organisation;

(c) if so, what -are the details. thereof; and

(d> what steps have been taken by Government to solve their protocol problems, if any, and to enforce discipline in the organisation?.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI JANESHWAR, MISHRA): '^a) No Sir. There is no rift in the Telecom Organisation.

(b) to (d) Do not arise.

उग्रवादी-गतिविधियों के संबंध में पाकिस्तान की भूमिका पर जम्मू और काश्मीर के राज्यपाल का वक्तव्य

2458. श्रीमती रत्न कुमारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बहुत से समाचार पत्रों में प्रकाशित जम्मू और काश्मीर के राज्यपाल के हाल के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की सांठ गांठ से राज्य में हाल ही में उग्रवादी गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई है और भारत में घुसपैठ के इरादे से उग्रवादी भारी संख्या में सीमा के उस पार एकत्र हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान ने घाटी में प्रशिक्षित विघटनकारी युवकों तथा युद्ध सामग्री को भेजने के लिए प्रयास तेज करने और जम्मू और कश्मीर में बहुत बड़ी संख्या में सशस्त्र कश्मीरी युवाओं द्वारा घुसपैठ कराने की योजना बनाई है। तथापि, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल का कोई विशिष्ट वक्तव्य बताना संभव नहीं है, जिससे प्रश्न संबंधित है।

Railway Minister's Statement on J & K and Punjab

2459. SHRI S. B, CHAVAN;
SHRI JAGESH DESAI:.
SHRi BHASKAR ANNAJl MASODKAR:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether'Government's attention has been drawn to the reported statement made by the Railway Minister which appeared in Lokmat Times of June 17, 1990 published from Aurangabad to the effect that he is in favour of transferring a number of subjects from the Union list to the State list;

(b) if so, whether Government would clarify wha exactly is the-posi tion ana whether this special status is proposed to be given to-only two states or this is the general principle which Government have accepted for all the States; and

(c) what are the reasons for coming to this conclusion?